

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4752
उत्तर देने की तारीख 21.08.2025

जनजातीय लोगों का विकास

4752. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत सभी स्वायत्त और गैर-स्वायत्त संगठनों की सूची क्या है;
- (ख) विगत पाँच वित्तीय वर्षों में एससीए को संवितरित की गई निधि, कौशल और उद्यमिता विकास, टर्म लोन, एएमएसवाई, एसआरवाई, एमसीएस, जनजातीय वन निवासी सशक्तीकरण योजना जैसी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभार्थियों की संख्या और ट्राइफेड-पैनल में शामिल अनुसूचित जनजाति कारीगरों की संख्या का छत्तीसगढ़ सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;
- (ग) एनएसटीएफडीसी द्वारा वित्त पोषित उन परियोजनाओं की संख्या जिनको देशभर में सफल माना गया है, का छत्तीसगढ़ सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;
- (घ) राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसायटी के अंतर्गत कार्यरत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) और एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल (ईएमडीबीएस) की संख्या क्या है; और
- (ङ) देश में अब तक नामांकित छात्रों सहित लाभान्वित छात्रों की छत्तीसगढ़ सहित राज्यवार संख्या क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संगठन:

- i. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)
- ii. जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (नेस्ट्स)

जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत गैर-स्वायत्त संगठन:

- i. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)
- ii. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)

(ख) और (ग) पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान एनएसटीएफडीसी द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को वितरित धनराशि और एनएसटीएफडीसी की योजनाओं, जैसे सावधि ऋण, एएमएसवाई, एसआरवाई और एमसीएस, के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभार्थियों की संख्या का विवरण, छत्तीसगढ़ सहित राज्यवार, **अनुलग्नक** में दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश भर में एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की कुछ सफलता की कहानियाँ

[https://nstfdc.tribal.gov.in/\(S\(3gwil13ratte2y5nojmmjwih\)\)/frm_success_Details.aspx?id=20](https://nstfdc.tribal.gov.in/(S(3gwil13ratte2y5nojmmjwih))/frm_success_Details.aspx?id=20) पर दी गई हैं।

(घ) और (ड) 31.07.2025 तक, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (नेस्ट्स) देश भर में कार्यरत कुल 485 ईएमआरएस की निगरानी कर रही है। पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष में छत्तीसगढ़ सहित ईएमआरएस में राज्य-वार नामांकन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	आंध्र प्रदेश	7087	8810	9891	10490
2	अरुणाचल प्रदेश	290	451	734	940
3	असम	0	0	एनआर	एनआर
4	बिहार	0	0	एनआर	एनआर
5	छत्तीसगढ़	19123	21943	24767	25820
6	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	238	300	346	400
7	गुजरात	10985	11066	11525	11429
8	हिमाचल प्रदेश	673	794	902	1018
9	जम्मू एवं कश्मीर	294	577	900	1134
10	झारखंड	3201	3202	3257	9329
11	कर्नाटक	4185	4236	4523	4541
12	केरल	697	862	969	1079
13	लद्दाख	0	0		
14	मध्य प्रदेश	24281	23084	25056	22813
15	महाराष्ट्र	8048	9010	10092	11296
16	मणिपुर	1440	1435	1440	1275
17	मेघालय	0	0		
18	मिजोरम	1250	1197	1892	2447
19	नागालैंड	681	712	744	747
20	ओडिशा	8495	9625	11530	12432
21	राजस्थान	8222	8375	9603	11621
22	सिक्किम	1131	1254	1248	1259
23	तमिलनाडु	2488	2226	2490	2950
24	तेलंगाना	7113	8194	9282	10107
25	त्रिपुरा	1984	1994	2094	2185
26	उत्तर प्रदेश	617	652	890	1154
27	उत्तराखंड	752	963	1105	1232
28	पश्चिम बंगाल	0	2879	3056	3169
	कुल योग	113275	123841	138336	150867

21.08.2025 के एलएसयूक्यू संख्या 4752 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

एनएसटीएफडीसी योजनाओं के अंतर्गत निधि संवितरण और लाभार्थी - 2020-21

क्र. सं.	एजेंसी का नाम	सावधि ऋण		एमसीएफ		एएमएसवाई		एसआरवाई		कुल	
		राशि	लाभ की संख्या	राशि	लाभ की संख्या	राशि	लाभ की संख्या	राशि	लाभ की संख्या	राशि	लाभ की संख्या
1	आंध्र प्रदेश			5022 .24	12533					5022 .24	12533
2	अरुणाचल प्रदेश	794.53	224	175. 99	211					970. 52	435
3	असम	5.00	2							5.00	2
4	छत्तीसगढ़	195.76	235					1.7 3	1	197. 49	236
5	गुजरात	1440.9 0	8230					1.1 3	0	1442 .03	8230
6	हिमाचल प्रदेश	13.40	2							13.4 0	2
7	जम्मू एवं कश्मीर	318.75	125			90.0 0	50			408. 75	175
8	झारखंड	1.60	2	1000 .00	10750					1001 .60	10752
9	कर्नाटक	2316.9 4	1905			792. 14	1109			3109 .08	3014
10	केरल	269.71	169			29.0 5	23			298. 76	192
11	मध्य प्रदेश	3360.1 0	5685							3360 .10	5685
12	महाराष्ट्र	37.27	822							37.2 7	822
13	मणिपुर	62.37	65							62.3 7	65
14	मेघालय	4485.4 3	35016							4485 .43	35016
15	मिजोरम	3324.1 8	1399							3324 .18	1399
16	नागालैंड	1098.7 2	48240							1098 .72	48240
17	ओडिशा	126.65	202	1667 .79	22029	219. 98	250			2014 .42	22481
18	राजस्थान	1985.1 8	2414							1985 .18	2414

19	सिक्किम	82.11	21							82.11	21
20	तमिलनाडु	12.50	1609							12.50	1609
21	तेलंगाना	273.00	442	5086.23	12623					5359.23	13065
22	त्रिपुरा	2134.35	1000					81.93	56	2216.28	1056
23	उत्तराखंड	6.15	2							6.15	2
24	उत्तर प्रदेश	1.55	4							1.55	4
25	पश्चिम बंगाल			231.20	2042	6.35	35	38.09	12	275.64	2089
	कुल	22346.15	107815	13183.45	60188	1137.52	1467	122.88	69	36790.00	169539

एनएसटीएफडीसी योजनाओं के अंतर्गत निधि संवितरण और लाभार्थी - 2021-22

क्र. सं.	एजेंसी का नाम	सावधि ऋण		एमसीएफ		एएमएसवाई		एसआरवाई		कुल	
		राशि	लाभ की संख्या	राशि	लाभ की संख्या	राशि	लाभ की संख्या	राशि	लाभ की संख्या	लाभ की संख्या	राशि
1	आंध्र प्रदेश	127.19	6	1000.00	2000					1127.19	2006
2	अरुणाचल प्रदेश	248.65	103	565.36	8040					814.01	8143
3	असम									0.00	0
4	बिहार	11.48	955							11.48	955
5	छत्तीसगढ़	1098.16	565	225.00	500	74.06	41	1.77	1	1398.99	1107
6	गुजरात	2022.50	11053							2022.50	11053
7	हिमाचल प्रदेश	14.00	2							14.00	2
8	जम्मू एवं कश्मीर	1273.75	361			86.40	48	2.72	1	1362.87	410
9	झारखंड	22.00	853	1400.00	14670					1422.00	15523
10	कर्नाटक	1250.15	812			119.16	150			1369.31	962
11	केरल	432.29	216			205.01	220			637.30	436

12	मध्य प्रदेश	2755.00	2373							2755.00	2373
13	महाराष्ट्र	209.06	7408							209.06	7408
14	मेघालय	694.81	1883							694.81	1883
15	मिजोरम	4496.77	10108	953.91	6170					5450.68	16278
16	नागालैंड	693.36	48257							693.36	48257
17	ओडिशा	59.20	146	2398.72	29880					2457.92	30026
18	राजस्थान	508.60	588							508.60	588
19	सिक्किम	62.56	16							62.56	16
20	तमिलनाडु	15.00	1609							15.00	1609
21	तेलंगाना	111.55	1855	3000.00	7500					3111.55	9355
22	त्रिपुरा	500.00	2143					80.26	53	580.26	2196
23	पश्चिम बंगाल			517.05	4406	14.64	105	42.23	4	573.92	4515
	कुल	16606.08	91312	10060.04	73166	499.27	564	126.98	59	27292.37	165101

एनएसटीएफडीसी योजनाओं के अंतर्गत निधि संवितरण और लाभार्थी - 2022-23

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	सावधि ऋण		एमसीएफ		एएमएसवाई		एसआरवाई		कुल	
		राशि	लाभ की संख्या.	राशि	लाभ की संख्या.	राशि	लाभ की संख्या.	राशि	लाभ की संख्या.	लाभ की संख्या.	राशि
1	आंध्र प्रदेश	119.8	3669	4000	10000					4119.80	13669
2	अरुणाचल प्रदेश	488.52	375	211.38	1460					699.90	1835
3	छत्तीसगढ़	293.11	1216					2.58		295.69	1216
4	गुजरात	1017.5	5223					2.08	1	1019.61	5224
5	हिमाचल प्रदेश	48.9	100			8	20			56.90	120

6	जम्मू एवं कश्मीर	1092.5	335			180	200			1272.54	535
7	झारखंड	3	756							3.00	756
8	कर्नाटक	1582.4	1927							1582.42	1927
9	केरल	383.13	225	85	175	252.6	266			720.73	666
10	मध्य प्रदेश	5392.1	10857							5392.05	10857
11	महाराष्ट्र	360.29	965	103.5	23	194.4	216			658.19	1204
12	मणिपुर	25	57							25.00	57
13	मेघालय	470.6	1227							470.60	1227
14	मिजोरम	5121.7	3044	174.06	540					5295.74	3584
15	नागालैंड	20.39	1							20.39	1
16	ओडिशा	63.19	4337							63.19	4337
17	राजस्थान	789.35	1856							789.35	1856
18	तमिलनाडु	1087.1	3403							1087.13	3403
19	तेलंगाना	83.99	611	4500	11250					4583.99	11861
20	त्रिपुरा							48.02	20	48.02	20
21	उत्तराखंड	81.42	244							81.42	244
22	पश्चिम बंगाल	745.94	1747	790.5	6540	9.09	80	97.81	26	1643.34	8393
		19269.98	42175	9864.44	29988	644.09	782	150.49	47	29929.00	72992

एनएसटीएफडीसी योजनाओं के अंतर्गत निधि संवितरण और लाभार्थी - 2023-24

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	सावधि ऋण		एमसीएफ		एएमएसवाई		एसआरवाई		कुल	
		राशि	लाभ की संख्या.	राशि	लाभ की संख्या.	राशि	लाभ की संख्या.	राशि	लाभ की संख्या.	राशि	लाभ की संख्या.
1	आंध्र प्रदेश	251.49	4900	5300.00	22321					5551.49	27221
2	अरुणाचल प्रदेश	25.77	13							25.77	13
3	असम	40.02	43							40.02	43
4	बिहार	3.06	3							3.06	3
5	छत्तीसगढ़	226.42	503					0.87		227.29	503
6	दादरा एवं नगर हवेली	4.55	6							4.55	6
7	गुजरात	2810.12	11848							2810.12	11848
8	गोवा	0.22	1							0.22	1
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0					2.19	2	2.19	2

10	जम्मू एवं कश्मीर	270.90	93			23.40	13	0.89	0	295.19	106
11	झारखंड	532.97	571			150.00	1131	1.28	1	684.25	1703
12	कर्नाटक	853.41	1003							853.41	1003
13	केरल	199.84	74	26.90	20	220.00	164			446.74	258
14	मध्य प्रदेश	1759.58	828							1759.58	828
15	महाराष्ट्र	1905.22	1291	319.50	71	298.8	166			2523.52	1528
16	मणिपुर	235.49	174							235.49	174
17	मेघालय	475.91	1193							475.91	1193
18	मिजोरम	6856.69	4573							6856.69	4573
19	नागालैंड	1199.77	771							1199.77	771
20	ओडिशा	362.35	17025							362.35	17025
21	राजस्थान	712.22	885							712.22	885
22	सिक्किम	34.23	27							34.23	27
23	तमिलनाडु	3264.21	7326					1.46	1	3265.67	7327
24	तेलंगाना	718.52	5119	2500.00	6250					3218.52	11369
25	त्रिपुरा	1906.27	2181			36.00	20	72.35	33	2014.62	2234
26	उत्तराखंड	32.59	8							32.59	8
27	उत्तर प्रदेश	3.37	4							3.37	4
28	पश्चिम बंगाल	95.06	1529	1327.60	2596	14.62	334	89.31	27	1526.59	4486
		24780.25	61992	9474.00	31258	742.82	1828	168.35	64	35165.42	95142

एनएसटीएफडीसी योजनाओं के अंतर्गत निधि संवितरण और लाभार्थी - 2024-25

क्र. सं.	एजेंसी का नाम	सावधि ऋण		एमसीएफ		एएमएसवाई		कार्यशील पूंजी		एएसआरवाई		कुल	
		राशि	लाभ की संख्या.	राशि	लाभ की संख्या.	राशि	लाभ की संख्या.	राशि	लाभ की संख्या.	राशि	लाभ की संख्या.	राशि	लाभ की संख्या.
1	आंध्र प्रदेश	24.22	15	6000.00	12000			14.99	884			6039.21	12899
2	अरुणाचल प्रदेश	17.88	17									17.88	17
3	असम	24.24	21									24.24	21
4	छत्तीसगढ़	417.43	242					82.00	4595			499.43	4837
5	गुजरात	4896.39	14641					35.00	3820			4931.39	18461
6	हिमाचल प्रदेश	24.90	22			4.00	10			1.7	1	30.60	33
7	जम्मू एवं कश्मीर	1080.00	397			21.60	12			0.89		1102.49	409

8	झारखंड	246.2 6	135							1.19		247.4 5	135
9	कर्नाटक	1854. 44	1368									1854. 44	1368
10	केरल	426.1 0	229	111.9 0	232	146. 80	106					684.8 0	567
11	लद्दाख	73.53	13									73.53	13
12	मध्य प्रदेश	1640. 72	964					20.0 0	618			1660. 72	1582
13	महाराष्ट्र	450.9 7	110	36.00	8	64.8	36	15.9 9	833			567.7 6	987
14	मणिपुर	102.8 0	65									102.8 0	65
15	मेघालय	298.0 9	112									298.0 9	112
16	मिजोरम	6948. 28	3529									6948. 28	3529
17	नागालैंड	627.0 8	282									627.0 8	282
18	ओडिशा	572.2 0	571	26.29	24			285. 07	14450			883.5 6	15045
19	राजस्थान	114.1 6	106					16.0 0	985			130.1 6	1091
20	सिक्किम	201.6 3	46									201.6 3	46
21	तमिलनाडु	1130. 39	1909					80.0 0	4528			1210. 39	6437
22	तेलंगाना	169.3 1	247	5000. 00	10000			5.00	530			5174. 31	10777
23	त्रिपुरा	1561. 87	503							134. 11	66	1695. 98	569
24	उत्तराखंड	53.82	12					31.9 9	616			85.81	628
25	उत्तर प्रदेश	1.92	2									1.92	2
26	पश्चिम बंगाल	982.5 1	327	1067. 72	6945	67.1 0	229	45.0 0	1306	71.4 2	21	2233. 75	8828
		2394 1.14	25885	1224 1.91	29209	304. 30	393	631. 04	33165	209. 31	88	3732 7.70	88740
